प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवशंकर पुत्र श्री लालाराम, निवासी जनपद-एटा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10605/प्रोबेशन-06/148/26 जनवरी, 2021, दिनांक 09-04-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवशंकर पुत्र श्री लालाराम जो- नगला स्याहू, मिसौली, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का रहने वाला है, दिनांक 01/02.09.2000 को अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ का विरोध किये जाने के कारण बांका से मुकेश व त्रिवेणी देवी की हत्या कर दी गयी तथा गीता, देवेन्द्र कुमार, गुड़िया एवं वेदप्रकाश को घायल कर दिया गया था। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1014/2000 में भा0द0वि0 की धारा-307, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-02, आगरा के आदेश दिनांक 15.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.02.2011 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक 20 वर्ष 04 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 09 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा कारावास की भोगी गयी सजा, कारावास की अवधि में सन्तोष जेल आचरण एवं सुधार के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2018 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवशंकर पुत्र श्री लालाराम की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी, एटा के द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में निम्न अभिमत/आख्या उपलबध करायी गयी है:-

"यदि बन्दी की समयपूर्व रिहाई होती है तो अपने गांव में आकर जघन्य अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिससे समाज में भय उत्पन्न होगा तथा स्थानीय लोगों में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि बन्दी की समयपूर्व रिहाई की जाती है तो बन्दी द्वारा पुन: जघन्य घटना की पुनरावृत्ति किये जाने की प्रबल सम्भावना है।"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी के द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है।

4- प्रश्नगत प्रकरण कन्टेम्प्ट अप्लीकेशन (सिविल) संख्या-608/2021 शिवशंकर बनाम श्री अवनीश कुमार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अवस्थी, प्रमुख सचिव उ0प्र0 सरकार व अन्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2021 से आच्छादित है। मा0 न्यायाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2021 का संगत अंश निम्नवत है:-

..... The applicant shall supply a duly stamped registered envelope addressed to the opposite party and another self-addressed stamped envelope to the office within two weeks from today. The office shall send a copy of this order along with the self-addressed envelope of the applicant with a copy of contempt application to the opposite party within three weeks from today and keep a record thereof.

The opposite party shall comply with the directions of the writ court and intimate him of the order through the self-addressed envelope within a week thereafter.

In case, opposite party does not comply with the aforesaid directions; it would be open to the applicant to approach this court again.

With the aforesaid observations, this application is finally disposed of at this stage..

5- अत: क्रिमि0 रिट याचिका संख्या-6897/2020 शिवशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं कन्टेम्प्ट अप्लीकेशन (सिविल) संख्या-608/2021 शिवशंकर बनाम श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2021 के समादर में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवशंकर (बन्दी संख्या-12691) पुत्र श्री लालाराम, निवासी जनपद-एटा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-54/2021/1088(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- बन्दी शिवशंकर पुत्र श्री लालाराम, केन्द्रीय कारागार, आगरा को (रजिस्टर्ड डाक) द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक, आगरा।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in